



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012021-224810
CG-DL-E-30012021-224810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384]
No. 384]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/ माघ 8, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

का.आ. 421(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में NH167 के कि.मी. 187.723 से कि.मी.194.8 (ऑफिस ऑफ़ द रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर, मिरयलागुडा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर, मिरयलागुडा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में NH167 के कि.मी. 187.723 से कि.मी.194.8 (ऑफिस ऑफ़ द रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर,मिरयलागुडा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: नलगोंडा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मिरयलागुडा					
गांव का नाम: अलगदापा					
1	209	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	505.8528400(वर्ग मीटर)	0.0505853
2	209	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	303.5117100(वर्ग मीटर)	0.0303512
3	210	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	1,618.7291000(वर्ग मीटर)	0.1618730
4	211	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	303.5117100(वर्ग मीटर)	0.0303512
5	212	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	404.6820000(वर्ग मीटर)	0.0404682
6	213	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	303.5120000(वर्ग मीटर)	0.0303512
7	214	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	303.5120000(वर्ग मीटर)	0.0303512
8	215	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	2,428.0936500(वर्ग मीटर)	0.2428090
9	215	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	2,428.0936500(वर्ग मीटर)	0.2428090
10	216	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	303.5117100(वर्ग मीटर)	0.0303512
11	217	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	3,136.2876300(वर्ग मीटर)	0.3136290
12	217	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	303.5117100(वर्ग मीटर)	0.0303512
13	218	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	126.4632100(वर्ग मीटर)	0.0126463

14	219	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	809.3645500(वर्ग मीटर)	0.0809365
15	222	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	607.0234100(वर्ग मीटर)	0.0607023
16	224	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	25.2926400(वर्ग मीटर)	0.0025293
17	225	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	607.0234100(वर्ग मीटर)	0.0607023
18	225	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	682.9013400(वर्ग मीटर)	0.0682901
19	226	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	1,315.2173900(वर्ग मीटर)	0.1315220
20	228	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	1,112.8762500(वर्ग मीटर)	0.1112880
21	254	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	25.2926400(वर्ग मीटर)	0.0025293
22	256	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	1,138.1689000(वर्ग मीटर)	0.1138170
23	272	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	1,315.2173900(वर्ग मीटर)	0.1315220
गांव का नाम: मिर्यालगुडा					
1	408	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	202.3411400(वर्ग मीटर)	0.0202341
2	449	सरकारी	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	1,922.2408000(वर्ग मीटर)	0.1922240
3	450	निजी(पट्टा)	वेट (एग्रीकल्चर लैंड)	784.0719100(वर्ग मीटर)	0.0784072
कुल				23,016.3047	2.3016

[फा. सं. NH-167-TS-2017-18-45/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2021

S.O. 421(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH167 in the stretch of land from Km. 187.723 to Km. 194.8 (Office of the Revenue Divisional Officer, Miryalaguda) in the district of NALGONDA in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Miryalaguda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH167 in the stretch of land from Km. 187.723 to Km. 194.8 (Office of the Revenue Divisional Officer, Miryalaguda) in the district of NALGONDA in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA		District: NALGONDA			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Miryalaguda					
Village: Alagadapa					
1	209	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	505.8528400(Square Meter)	0.0505853
2	209	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	303.5117100(Square Meter)	0.0303512
3	210	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	1,618.7291000(Square Meter)	0.1618730
4	211	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	303.5117100(Square Meter)	0.0303512
5	212	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	404.6820000(Square Meter)	0.0404682
6	213	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	303.5120000(Square Meter)	0.0303512
7	214	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	303.5120000(Square Meter)	0.0303512
8	215	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	2,428.0936500(Square Meter)	0.2428090
9	215	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	2,428.0936500(Square Meter)	0.2428090
10	216	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	303.5117100(Square Meter)	0.0303512
11	217	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	3,136.2876300(Square Meter)	0.3136290
12	217	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	303.5117100(Square Meter)	0.0303512

13	218	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	126.4632100(Square Meter)	0.0126463
14	219	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	809.3645500(Square Meter)	0.0809365
15	222	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	607.0234100(Square Meter)	0.0607023
16	224	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	25.2926400(Square Meter)	0.0025293
17	225	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	607.0234100(Square Meter)	0.0607023
18	225	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	682.9013400(Square Meter)	0.0682901
19	226	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	1,315.2173900(Square Meter)	0.1315220
20	228	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	1,112.8762500(Square Meter)	0.1112880
21	254	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	25.2926400(Square Meter)	0.0025293
22	256	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	1,138.1689000(Square Meter)	0.1138170
23	272	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	1,315.2173900(Square Meter)	0.1315220
Village: Miryalaguda					
1	408	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	202.3411400(Square Meter)	0.0202341
2	449	Government	Wet (Agriculture land)	1,922.2408000(Square Meter)	0.1922240
3	450	Private(Patta)	Wet (Agriculture land)	784.0719100(Square Meter)	0.0784072
Total				23,016.3047	2.3016

[F. No. NH-167-TS-2017-18-45/3A]

RAJESH GUPTA, Director